


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935

No. 1077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

का.आ. 1223(अ)—केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 मास मई, वर्ष 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 और धारा 15 ख के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[एफ. सं. 1/1/2013-रिकवरी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

S.O. 1223(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2012 (No. 1 of 2013), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2013, as the date on which the provisions of Sections 8 and 15 (b) of the said Act shall come into force.

[F. No.1/1/2013-Recovery]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935

No. 234]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

सा.का.नि. 310(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (ग) से (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के उप-नियम 1 के खण्ड (ड.) में "सम्पत्ति में किसी प्रतिभूति हित" शब्दों के पश्चात् "तथा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा 1 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से पहले प्रचलित संव्यवहार सम्मिलित हैं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. (i) मूल नियम के नियम 5 के उप-नियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां ऐसे संव्यवहार की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएंगी:

परंतु यह कि सभी प्रचलित संव्यवहार की विशिष्टियां प्रतिभूत लेनदार द्वारा 30 जून को या उससे पहले केंद्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल की जाएगी और उक्त तारीख तक ऐसे फाइल करने पर कोई फीस संदेय नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि उक्त तारीख के पश्चात् केंद्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल की गई सभी प्रचलित कारबार नियम 7 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्रभार्य होगी।”;

(ii) मूल नियम के नियम 7 की सारणी में -

(क) किसी विद्यमान प्रतिभूति हित की तुष्टि से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ (4) के अधीन “250 रु.” अंकों के स्थान पर, कुछ नहीं शब्द रखे जाएंगे;

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फ.सं. 1/1/2013 वसूली]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में सा. का. नि.

276 (अ) तारीख 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) to (g) of sub-section (2) of Section 38 read with Section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (e), after the words “any security interest over property” occurring at the end, the words “and includes the transactions which subsisted before the date of setting up of the Central Registry under sub-section (1) of Section 20 of the Act” shall be inserted.

3. (i) in rule (5) of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The particulars of every transaction referred to in sub-rule (1) of rule 3 shall be filed with the Central Registrar within a period of thirty days from the date of such transaction:

Provided that particulars of all subsisting transactions shall be filed by the secured creditors with the Central Registry on or before the 30th June and no fee shall be payable on such filing till the said date:

Provided further that all subsisting transactions filed with the Central Registry after the said date shall be chargeable with such fee as specified in the Table under rule 7.”;

(ii) in rule (7) of the principal rules, in the Table –

(a) against Sl. No. 2, relating to Satisfaction of any existing Security Interest, under column (4), for the figures “Rs. 250”, the word “Nil” shall be substituted;

(b) against Sl. No. 4, relating to Particulars of satisfaction of securitisation or reconstruction transactions, under column (4), for the figures “50”, the figures “250” shall be substituted.

[F. No. 1/1/2013-Recovery]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Footnote:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3 sub-section (i), vide G.S.R. 276(E), dated the 31st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 19 की उप-धारा (3क) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरणों (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण कहा गया है) में न्यायालय फीस प्रतिदाय विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय फीस का प्रतिदाय) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम अधिकरण में फाइल किए गए सभी मामलों में जिनका निपटान उस अधिकरण के समक्ष सुनवाई प्रारंभ किए जाने से पूर्व या पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश की कार्यवाहियों से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर लागू होंगे।

परंतु जब वसूली अधिकारी के पास वसूली कार्यवाहियाँ लंबित हो तब वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) ‘अधिनियम’ से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 अभिप्रेत है;

(ख) ‘पीठासीन अधिकारी’ से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ‘अधिकरण’ से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों का जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।